

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026

सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- 30-03-2026

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- 29-05-2026

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 18-06-2026

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि-25-06-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 18-06-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक-18-06-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक-25-06-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कुल रिक्त 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/ ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

21 नवंबर







1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

- 2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
- 2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (18-06-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।
- 2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 18-06-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।
- 2.5 अभ्यर्थियों को आवेदन के समय विभागों/पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव विभाग/पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

21/06/2026

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2.8 आवेदन(Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षेत्रीय आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।
नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **“Enter Verification Code”** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **“सबमिट”** बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात **“अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र”** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त **“Continue”** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित (Select) किये गये पदों के सम्बन्ध में वरीयता अंकित करनी होगी तथा अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

21/04/21

8

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save and Submit** बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI** या **SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II- कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III- शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

21/5/2019  



V- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरांत अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VII- अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

दीर्घा

8

2

2.13- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

I. अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025 एवं शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 25-06-2026 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21/06/24

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अधियाचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित 2285 पदों के सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	
01	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	278	75	17	124	54	548	स्थायी
02	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम) 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300, वेतनमान बैन्ड-1, ग्रेड-पे: 2800	170	87	09	112	41	419	स्थायी

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
03	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/ नीलामकर्ता	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	149	65	01	76	32	323	स्थायी
04	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अधिसासी अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06, ग्रेड-पे: 4200 (रू0 35400- रू0 112400)	109	36	04	66	23	238	स्थायी व अस्थायी
05	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/ रोकड़िया सह लिपिक/ लेखा लिपिक	लेवल-4, वेतनमान (न्यूनतम): 25500, वेतनमान (अधिकतम): 81100	101	48	06	52	22	229	स्थायी
06	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/ सहायक आयतीकरण अधिकारी	लेवल-6 वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	78	30	04	40	16	168	स्थायी व अस्थायी
07	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	54	29	03	35	13	134	अस्थायी

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
08	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	--	00	01	02	--	03	अस्थायी
09	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200	37	20	01	25	09	92	अस्थायी
10	परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	लेवल-6 वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	35	18	01	23	08	85	स्थायी व अस्थायी
11	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	19	12	01	10	04	46	स्थायी

सारिणी-2
कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन/पदों की संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बीनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	10	21 (B.)	--	--	--	--	27	109	10
02	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	08	06 (L.V.)	05 (D.) (H.H.)	05 (O.A.), (O.L.), (C.P.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	--	--	20	83	08
03	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/नीलामकर्ता	06	03 (L.V.)	03 (H.H.)	03 (O.A.), (O.L.), (M.D.Y.),	03 (A.S.D.)	--	16	64	06
04	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अधिशासी अधिकारी	04	03 (L.V.)	03 (D), (H.H.)	03 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	11	47	04
05	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक	04	03 (L.V.)	02 (H.H.)	02 (O.A.), (O.L.), (M.D.Y.)	02 (A.S.D.)	--	11	45	04

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन/पदों की संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बीनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
06	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबंदी अधिकारी/ सहायक आयुक्तीकरण अधिकारी	03	02 (L.V.)	02 (H.H.)	02 (O.A.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	08	33	03
07	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी)	02	02 (L.V.)	02 (H.H.)	01 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	06	26	02
08	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	--	--	--
09	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	01	--	--	--	--	--	04	18	01
10	परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	01	--	--	--	--	--	04	17	01

र/ज/व/र/ bu

8

X

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन/पदों की संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
11	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	00	01 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.),	--	--	02	09	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)-Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.D.Y (एम0डी0वाई0)-Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)
- C.P. (सी0पी0)-Cerebral Palsy (प्रमस्तिक घात)
- A.S.D. (ए0एस0डी0)- Autism Spectrum Disorder (स्वपरायणता)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

21/2/2018

- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025 एवं शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

21/01/21

8

X

6 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
3	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/नीलामकर्ता	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में अमीन/नीलामकर्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कृषि विपणन कार्य का अनुभव रखता हो।
4	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अधिशाली अधिकारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित में विहित प्राविधानानुसार सेवा में अधिशाली अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को स्नातक उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कर्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवाओं में अधिशाली अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की दशा में उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

21/10/21

8

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
5	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।
6	कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक आयुक्ताधिकारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक आयुक्ताधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी- (एक) जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि हो, या (दो) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
7	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (सामान्य/विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अपेक्षित होगी। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-18 के अनुसार सेवा में केन्द्र प्रभारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है।

21/10/21

8

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
9	परिवार कल्याण महा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार सेवा में जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो। <u>अधिमानी अर्हता</u>- चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त किया हो।
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
नोट:- स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-1) है।			

7- आयु -

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय जुलाई के प्रथम दिवस को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
3	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/ नीलामकर्ता	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1-अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2-मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।
4	नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश	अधिशासी अधिकारी	उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के अनुसार सेवा में केन्द्रीयित सेवाओं में अधिशासी अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती किया जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो: परन्तु यह कि- (1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी। (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी। (3) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।
5	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/ रोकड़िया सह लिपिक/ लेखा लिपिक	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2- मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।
6	कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/ सहायक आयुक्तीकरण अधिकारी	सेवा में सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक, आयुक्तीकरण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिये और चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
7	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (सामान्य/विशेष चयन)	सेवा में सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम- 14 के अनुसार सेवा में केन्द्र प्रभारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को, यदि रिक्तियाँ पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, और पहली जुलाई को, यदि रिक्तियाँ पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय: परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में जो निगम में पहले से कार्य कर रहे हों, उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।
9	परिवार कल्याण महा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी137 /2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार सेवा में जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2-मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश

संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा विज्ञापित पदों की संगत सेवानियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों/कार्यकारी आदेश, जिनका उल्लेख बिन्दु-06 एवं 07 में अंकित तालिकाओं में किया गया है, के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) की परीक्षा योजन एवं पाठ्यक्रम-

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	05	05	

	2) भारतीय राज्यव्यवस्था एवं भारतीय संविधान	10	10	दो घण्टा (120 मिनट)
	3) भारत एवं विश्व का भूगोल	05	05	
	4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास	10	10	
	5) सामान्य विज्ञान	05	05	
	6) पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन	10	10	
	7) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ	05	05	
	8) सामान्य बुद्धि परीक्षण	05	05	
	9) प्रारम्भिक गणितीय ज्ञान	05	05	
	10) सामान्य हिन्दी	05	05	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1

(विषयगत ज्ञान)

(1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरख जानकारी।

(2) भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान

भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान।

(3) भारत एवं विश्व का भूगोल

भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत में कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, भारत में जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से सम्बन्धित जानकारी। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी।

(4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास

भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य

(Sustainable Development Goals)। सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव। आधारभूत संरचना : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पत्तन तथा रेलवे आदि।

(5) सामान्य विज्ञान

सामान्य विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। संतुलित आहार, कैलोरी वितरण, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन से होने वाली बीमारियाँ एवं बचाव, डायरिया, एनीमिया, विभिन्न बिमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जलचक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, जलभूत, विद्युत चुम्बकीय प्रतिरोधकता सर्वेक्षण आदि।

(6) पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबन्धन

पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण। प्राकृतिक आपदाएं तथा आपदा प्रबन्धन।

(7) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रमों का ज्ञान।

(8) सामान्य बुद्धि परीक्षण

युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता आधारित ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके।

(9) प्रारम्भिक गणितीय ज्ञान

प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक : अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित। सांख्यिकीय विश्लेषण-ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफिकीय डायग्राम सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

(10) सामान्य हिन्दी

- शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को सम्बोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अभिसूचना और परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न।
- वर्ण एवं ध्वनि विचार : उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा-पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण।
- शब्द रचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
- शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक, निपात)।

21/10/2020

- शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
- शब्द शुद्धि।
- व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य।
- वाक्य रचना, प्रकार-सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि।
- विराम चिन्हों का प्रयोग।
- मुहावरे/लोकोक्तियाँ।

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - इनपुट एवं आउटपुट।
 - इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
 - आईटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ई-मेल आईडीओ को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व।
 - ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि।

Examination Plan and Syllabus of Main Examination (Written Examination) for selection to the vacant posts of direct recruitment with graduate qualification under Combined Lower Subordinate Services Competitive Examination

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
------	---------	---------------------	-------------	-------------

Part-1	1) History of India and Indian National Movement	05	05	Two Hours (120 Minutes)
	2) Indian Polity and Indian Constitution	10	10	
	3) Geography of India and World	05	05	
	4) Indian Economy and Social Development	10	10	
	5) General Science	05	05	
	6) Environment, Ecology and Disaster Management	10	10	
	7) Current Events of National and International Importance	05	05	
	8) General Intelligence Test	05	05	
	9) Elementary Mathematical Knowledge	05	05	
	10) General Hindi	05	05	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the State of Uttar Pradesh	20	20	
Total		100	100	

SYLLABUS

Part-1

(Subject related Knowledge)

(1) History of India and Indian National Movement

Information about social, cultural, economic and political aspects under Indian history. Summarized information from candidates on Indian National Movement regarding freedom movement, rise of nationalism and attainment of independence.

(2) Indian Polity and Indian Constitution

Knowledge of political system including constitutional development in India, Indian Constitution, Indian political system and governance, Panchayati Raj and local self-governance, public policy and official issues and community development.

(3) Geography of India and World

The geography of India includes information on the country's physical, social, and economic geography, agriculture, horticulture, forestry, and animal husbandry in India, population and urbanization patterns in India, smart cities, and smart villages. World geography includes only general information about the subject.

(4) Indian Economy and Social Development

Economic planning in India, objectives and achievements, role of NITI Aayog, Sustainable Development Goals (SDGs). Components of government budget and financial system. Development of agriculture, industry and trade commerce in India. Land reforms in India after independence. Effects of globalization and liberalization in India, changes in industrial policy and their impact on industrial development. Infrastructure: Power, ports, roads, airports and railways etc.

(5) General Science

Questions of General Science (Biology, Chemistry, Physics) will be based on general understanding and knowledge of science including topics related to daily experience and observation, which can be expected from any well-educated person who has not studied scientific subjects in detail. Role of science and technology in the development of India. Balanced diet, calorie distribution, protein, vitamins, vitamin-related diseases and prevention, diarrhea, anaemia, importance of food in various diseases, importance of vaccination, water cycle, types of water sources, drinking water quality standards, aquifers, electromagnetic resistivity survey etc.

(6) Environment, Ecology and Disaster Management

Environment, Ecosystem, wildlife conservation, biodiversity, environmental pollution and degradation. Natural calamities and disaster management.

(7) Current Events of National and International Importance

Knowledge of recent events at both national and international level.

(8) General Intelligence Test

Questions based on logical, critical and analytical ability which will test the result-oriented aptitude of the candidate.

(9) Elementary Mathematical Knowledge

Elementary Mathematics up to high school level: Arithmetic, Algebra and Geometry. Statistical analysis-graphs and diagrams which will test the ability of the candidates to draw conclusions related to general knowledge from the information presented related to statistics and graphical diagrams.

(10) General Hindi

- शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को सम्बोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न
- वर्ण एवं ध्वनि विचार : उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा-पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण
- शब्द रचना : संधि एवं संधि बिच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय

- शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक, निपात)।
- शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
- शब्द शुद्धि।
- व्याकरणिक कोटियां : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्या।
- वाक्य रचना, प्रकार-सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि।
- विराम चिन्हों का प्रयोग।
- मुहावरे/लोकोक्तियां।

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - Hardware and Software.
 - Input and Output.
 - Internet Protocol/IP Address.
 - IT gadgets and their applications.
 - Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - Operation of Printer, Tablet and Mobile.
 - Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
 - Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General information related to The State of Uttar Pradesh)

History of Uttar Pradesh, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dances, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forests, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration, Current Events and achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc.

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 18-06-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्नगत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा “उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026” निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 18-06-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 11.26- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/ चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

21 नवंबर 2024

8

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ

संलग्नक-1

संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 19 जुलाई, 2023

विषय:- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020(रिट-ए) श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ओदश दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किये गये हैं:-

"जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त ही चयन हेतु अध्याचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें।"

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अध्याचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है।

3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

(1)- ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

- (1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों स्नातक के रूप में मान्य होगी।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।
- (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ०प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग/ अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

4- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट-1

प्रारूप-1।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....नियासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, -1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका पारिवार उत्तर प्रदेश
के ग्रामतहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्रामतहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-राज्य संख्या-34/2019/अ.प. 2002/सू.21/19डी.जी.म. दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

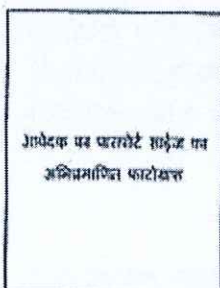
तहसील जिला राज्य

पित कोट..... के स्थायी निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-भाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अपिस्चित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (पेंशन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III अपिस्चित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अपिस्चित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----नियासी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----
--के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-1

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
- (ii) If yes, details:
- (a) Authority to whom and district in which applied _____
- (b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____,
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures :- percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri _____

Date of Birth (DD/MM/YY) _____

Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

_____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the

guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued